

सूचना

दिनांक 30.09.2023

भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय-6, जोधपुर में मासिक किराये के आधार पर Swift Dzire / Maruti Suzuki Ciaz / Honda City / Honda Amaze / Tata Tigor / Hyundai Verna / Hyundai Aura, वातानुकूलित (पेट्रोल/डीजल/सीएनजी) सफ़ेद रंग की एक टैक्सी परमिट गाड़ी, नई या अधिकतम दों वर्ष पुरानी गाड़ी की आवश्यकता है | इच्छुक वाहन स्वामी/ टैक्सी ऑपरेटर अपने प्रस्ताव/निविदा तकनीकी एवं मूल्य बोली (Technical & Price Bid) इस कार्यालय को दिनांक 13.10.2023 तक सांय 03:00 बजे तक तकनीकी एवं मूल्य बोली (Technical & Price Bid) अलग-अलग सील बंद लिफाफे में मुख्य प्रबन्धक (मा. सं. एवं प्रशासन) भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय-6, A - 23 शास्त्री नगर, जोधपुर -342003 को प्रस्तुत करें | ड्राइवर की व्यवस्था इच्छुक वाहन स्वामी/ टैक्सी ऑपरेटर को स्वयं करनी होगी | किसी भी तरह की शर्तें निविदा सूचना के अलावा स्वीकार नहीं की जायेगी, निविदा में मांगी गई सूचना के अलावा किसी भी तरह की अन्य दरों का उल्लेख ना करें।

तकनीकी निविदा (Technical Bid) में अलग सील बंद लिफाफे में निम्न दस्तावेज़ (Documents) संलग्न करें:-

ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की RC/बिल, बीमा, RTO टैक्सी परमिट की प्रतिलिपि (Copy) एवं गाड़ी नई क्रय (Purchase) करने की स्थिति में डीलर से प्राप्त कोटेसन के साथ निविदा खुलने के पंद्रह (15) दिवस/दिन के अंदर गाड़ी/वाहन क्रय करने /खरीदने का लिखित में शपथ पत्र वं शपथ पत्र भंग होने की स्थिति में रुपये 20,000/- की क्षतिपूर्ति ।

मूल्य निविदा (Price Bid) अलग सील बंद लिफाफे में निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

गाड़ी का नाम, नंबर	2500 KM तक चलने का मासिक किराया	2500 KM से अधिक चलने पर प्रति KM दर	अवकाश के दिन बुलाने पर चार्ज	रात्रि रुकने पर चार्ज (जोधपुर स्टेशन से बाहर रुकने पर)	एक दिन में 12 घंटे (प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 तक) से ज्यादा रुकने पर चार्ज

*GST नियमानुसार

बैंक के पास निविदा निरस्त करने के सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे |

मुख्यप्रबन्धक

(मा. सं. एवं प्रशासन)

भारतीय स्टेट बैंक

प्रशासनिक कार्यालय-6, जोधपुर

A -23 शास्त्री नगर, जोधपुर -342003



Terms & Conditions (नियम एवं शर्तें)

1. Vehicle should be Swift Dzire / Maruti Suzuki Ciaz / Honda City / Honda Amaze / Tata Tigor / Hyundai Verna / Hyundai Aura (Air conditioner) Petrol/Diesel/CNG, White Colour with driver and Vehicle should be New or Maximum Two year old.

वाहन Swift Dzire / Maruti Suzuki Ciaz / Honda City / Honda Amaze / Tata Tigor / Hyundai Verna / Hyundai Aura (एयर कंडीशनर) पेट्रोल/डीजल/सीएनजी, ड्राइवर सहित सफेद रंग का होना चाहिए और वाहन नया या अधिकतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए।

2. The hiring charges will be paid per month for a minimum distance of 2500 KM and for minimum 12 hours per day from 09:00 AM to 9:00 PM for full month. In case, if there is hike in petrol price more than 25% on contracted petrol rate, new rate will be paid after mutually negotiation between vehicle owner and Bank and taking approval from both party.

किराया शुल्क प्रति माह न्यूनतम 2500 किमी की दूरी के लिए और पूरे महीने के लिए प्रतिदिन सुबह 09:00 बजे से रात 9:00 बजे तक न्यूनतम 12 घंटे के लिए भुगतान किया जाएगा। यदि पेट्रोल की कीमत में अनुबंधित पेट्रोल दर पर 25% से अधिक की वृद्धि होती है, तो वाहन मालिक और बैंक के बीच आपसी बातचीत और दोनों पक्षों से अनुमोदन लेने के बाद नई दर का भुगतान किया जाएगा।

3. Additional charge for extra run beyond 2500 KM in a month will be paid per KM. An amount per night will also be reimbursed as night halt charges for outside the station (Jodhpur). Beyond 12 hours in a day, per hour will be paid extra. An amount per day holiday charges will be paid, if the bank use vehicle on Bank Holiday.

एक महीने में 2500 किमी से अधिक अतिरिक्त यात्रा पर प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क देय होगा। स्टेशन (जोधपुर) के बाहर रात्रि विश्राम शुल्क के रूप में प्रति रात एक राशि की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। एक दिन में 12 घंटे से अधिक के लिए प्रति घंटा अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यदि बैंक अवकाश के दिन वाहन का उपयोग करता है, तो अवकाश के दिन अतिरिक्त शुल्क की राशि का भुगतान किया जाएगा।

4. All repairs/ maintenance of the vehicle will be carried out by Vehicle owner at their own cost. In the event of vehicle being unavailable on account of repair, he will provide a substitute vehicle to the informed of new arrangement to Bank. Bank reserves the right to recover an additional amount upto Rs. 2000/- per day as penalty in case of any breakdown of vehicle. Besides this, he has to make alternative arrangement during the period of breakdown and the expenses are to be borne by Vehicle owner.

वाहन की सभी मरम्मत/रखरखाव वाहन मालिक द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा। मरम्मत के कारण वाहन अनुपलब्ध होने की स्थिति में, वह बैंक को नई व्यवस्था की जानकारी देने के साथ एक वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराएगा। वाहन के खराब होने पर बैंक रुपये 2000/- तक की अतिरिक्त राशि प्रतिदिन जुर्माना वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, उसे ब्रेकडाउन (वाहन के खराब होने पर) की अवधि के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी और खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।

5. Vehicle owner will provide one driver for the complete month. If there is need to change driver in any circumstances, taxi owner needs to inform the bank in advance.

वाहन मालिक पूरे महीने के लिए एक ड्राइवर उपलब्ध कराएगा। अगर किसी भी परिस्थिति में ड्राइवर बदलने की जरूरत पड़ती है तो टैक्सी मालिक को पहले ही बैंक को सूचित करना होगा।

6. The driver has to report well before 09:00 am each (except Holiday) day for duty.



डाइवर को ड्यूटी के लिए प्रत्येक दिन (अवकाश के अलावा) सुबह 09:00 बजे से पहले रिपोर्ट करना होगा।

7. The driver has to wear proper uniform which will be arranged by owner.
डाइवर को उचित वर्दी पहननी होगी जिसकी व्यवस्था मालिक द्वारा की जाएगी।
8. Initially the agreement is for a period of 01 year, which can be extended for another 02 (Two) year on mutually agreed same terms and conditions or any other condition may be insert by Bank. However, the bank has the option to repudiate the contract by giving one month notice but Vehicle owner will not have any option to repudiate the contract till the agreement expired.
प्रारंभ में यह समझौता 01 वर्ष की अवधि के लिए है, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत होने पर समान नियमों और शर्तों पर या बैंक द्वारा अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है, अगले 02 (दो) वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, बैंक के पास एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को अस्वीकार करने का विकल्प है लेकिन वाहन मालिक के पास अनुबंध समाप्त होने तक अनुबंध को अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
9. In case the services are not found satisfactory, the arrangement will be terminated by the Bank giving one month notice.
यदि सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई गईं तो बैंक द्वारा एक माह का नोटिस देकर व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी।
10. The fuel oil, lubricant, coolant, battery, tires etc. as well as items needed on day-to-day basis for the running of vehicle are to be arranged and borne by the Vehicle owner.
ईंधन तेल, स्नेहक, शीतलक, बैटरी, टायर आदि के साथ-साथ दैनिक आधार पर आवश्यक वस्तुएं वाहन के संचालन की व्यवस्था और वहन, वाहन मालिक द्वारा किया जाना है।
11. Entries made in logbook for running of vehicle with KM details of vehicle are to be authenticated by an official or a person appoint by official who use taxi for official purpose. In the end of month payment will be paid after entries verified by competent authority of the Bank.
वाहन के किलोमीटर विवरण के साथ वाहन चलाने के लिए लॉगबुक में की गई प्रविष्टियों को बैंक अधिकारी द्वारा या अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा जो आधिकारिक प्रयोजन के लिए टैक्सी का उपयोग करता है, प्रमाणित किया जाना है। महीने के अंत में बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित प्रविष्टियों के बाद भुगतान किया जाएगा।
12. The payment of rent will be made on monthly basis after deducting TDS & other government taxes (as applicable).
किराए का भुगतान टीडीएस और अन्य सरकारी कर की कटौती के बाद मासिक आधार पर किया जाएगा।
13. Insurance charges for the vehicle & driver, amount of road tax, charges for pollution checkup etc are to be borne by Vehicle owner. Toll tax and parking charges will be borne by the Bank.
वाहन और चालक के लिए बीमा शुल्क, सड़क कर की राशि, प्रदूषण जांच के लिए शुल्क आदि वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।
14. KYC norms of vendor/driver will be applicable.
विक्रेता/चालक के केवाईसी मानदंड लागू होंगे।
15. Vehicle owner will get the antecedent of driver/stand by driver verified from the police authorities before deploying them on Bank's duty and will provide us with duly verified copies



of the same along with copies of proof residence of driver, copies of their commercial vehicle driving license and copies of registration and insurance of the vehicle/driver.

वाहन मालिक ड्राइवर/स्टैंडबाय ड्राइवर को बैंक की ड्यूटी पर तैनात करने से पहले पुलिस अधिकारियों से उनका पुलिस सत्यापन करवाएगा और हमें उसकी विधिवत सत्यापित प्रतियां, ड्राइवर के निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां, उनके वाणिज्यिक वाहन की प्रतियां, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन/चालक के पंजीकरण और बीमा की प्रतियां प्रदान करेगा।

16. All the penalties, challans etc. by any Law enforcing agency or otherwise will be borne by the Vehicle owner.

कानून लागू करने वाली एजेंसी या अन्यथा द्वारा लगाए गए सभी जुर्माने, चालान आदि वाहन मालिक द्वारा वहन किए जाएंगे।

17. The Bank will be at liberty to use the hired vehicle anywhere in the country.

बैंक देश में कहीं भी किराये के वाहन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. It shall be binding on the Vehicle owner that is does not directly or through its driver divulge and secret or sensitive information of the second party, which comes to their knowledge in the discharge of their duties, similarly, it shall be binding on the Bank that they do not interfere with the administration and management of the first party.

यह वाहन मालिक पर बाध्यकारी होगा कि वह सीधे या अपने चालक के माध्यम से दूसरे पक्ष(बैंक) की गुप्त या संवेदनशील जानकारी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जो उनकी जानकारी में आती है उसको प्रकट नहीं करेगा।, इसी प्रकार, बैंक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्रथम पक्ष (वाहन मालिक) के प्रशासन और प्रबंधन में हस्तक्षेप न करें।

19. There is not any relation (Employer-Employee, Principal-Agent) between Vehicle Owner/Driver and Bank. Driver will be provided by Vehicle owner, salary/wages and other expenses are born by taxi owner.

वाहन मालिक/चालक और बैंक के बीच कोई संबंध (नियोक्ता-कर्मचारी, स्वामी-अभिकर्ता) नहीं है। ड्राइवर वाहन मालिक, द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, वेतन/मजदूरी और अन्य खर्च टैक्सी मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।

20. Vehicle owner shall be bound to comply all the rules and regulation of Labor Law and other laws. Bank will not be responsible for any losses and penalty. In case Bank pays these dues, same will be recovered from owner of vehicle.

वाहन मालिक श्रम कानून एवं अन्य कानूनों के सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। बैंक किसी भी नुकसान और जुर्माने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक इन बकाया राशि का भुगतान करता है तो इसे वाहन मालिक से वसूल किया जायेगा।

21. Jodhpur will be the jurisdiction area for any litigation.

किसी भी मुकदमे के लिए न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।

22. The monthly bill will be submitted by the Vehicle owner to the Bank on the first day of following month, which shall be paid by the Bank latest by 7th of every month.

वाहन मालिक द्वारा मासिक बिल अगले माह के पहले दिन बैंक में जमा किया जाएगा, जिसका भुगतान बैंक द्वारा प्रत्येक माह की अधिकतम 07 तारीख तक किया जाएगा।

